| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>अपील संख्या:- 81/2021 | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए |
|---|---|---|
| 21.10.2021 | पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट उपस्थित। वकील अपीलाण्ट को एक पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर सुना गया।<br><br>वकील अपीलाण्ट का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट की ओर से दावा प्रस्तुत करने पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आ0टी0एक्ट के तहत प्रस्तुत किया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के तर्को पर सहमत होकर एवं विवादित आराजी को पैतृक आराजी मानते हुये आदेश दिनांक 11.10.2021 को एक पक्षीय जारी किया था। परन्तु बैंक ऑफ बडौदा की ओर से दिनांक 18.10.2021 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर, पूर्व में जारी स्थगन आदेश दिनांक 11.10.2021 को अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.10.2021 से अपीलाण्ट को बिना नोटिस दिये एवं बिना सुनवाई का मौका दिये निरस्त कर दिया जो कि पूर्णतया अवैध है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति अपीलाण्ट के पक्ष में बखूबी साबित होती है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2014(1) पेज 409, आरआरटी 2016(1) पेज 606 का उद्धरण पेश किया।<br><br>हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश अन्तरिम आदेश है। विधिक प्रावधानो के अनुसार अन्तरिम आदेश की अपील सामान्यतः संधारणीय नहीं रहती है। हमने न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2014 पेज 409 का अवलोकन किया। उक्त नजीर में माननीय राजस्व मण्डल बृहदपीठ ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अन्तरिम आदेश एवं एक्स पार्टी आदेश के विरूद्ध अपील संधारणीय रहती है। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को अपीलाधीन आदेश से खारिज किया गया है। न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2016(1) पेज 606 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है विचारण न्यायालय यदि अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को वैकेट कर देता है तो उसकी अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अपील संधारणीय होती है। अतः अपील अपीलाण्ट सुनवाई हेतु ग्रहण की जाकर एवं ग्राहयता स्तर पर ही अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित समझते हैं कि वह उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुये अपने समक्ष विचाराधीन प्रकरण को अधिकतम 30 दिवस में निरतारण करें।<br><br>अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.10.2021 निरस्त किये जाते हैं। तब तक उभयपक्ष विवादित आराजी खसरा नम्बर 1023/0.22 हे0 वाके ग्राम बैलारा तहसील नदबई के रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 02.11.2021 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें।<br><br>पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, वाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।<br><br>21.10.2021<br>(अखिलेश कुमार पिपल)<br>राजस्व अपील प्राधिकारी<br>भरतपुर | |